न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 29/2020 दिनांक : 5/3/2020

लालुराम पिता नाराण जाति भील उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।

.........प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पिता मोडा जाति भील उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. मांगीलाल पिता नाराण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
3. भवाना पिता सोराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।

................विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : **आदेश** : – दिनांक 23/12/2020

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री लालुराम पिता नाराण जाति भील उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)। ने जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम बिजौलिया खुर्द पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित **आराजी नम्बर 137 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 140 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भुमि** स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रू की पत्थरगढ़ी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा ।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम बिजौलिया खुर्द पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित **आराजी नम्बर 137 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 140 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भुमि** बशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जि. भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)